कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,वाराणसी

विज्ञप्ति संख्याः– 3192 /व्यवस्थापन/2020–21 दिनांकः जनवरी 25, 2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–11/2020/155 ई–2/तेरह–2020–01/2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–26444/दस–लाइसेंस–367/आबकारी नीति/2020–21/दिनांकः 25–01–2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–वाराणसी में वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भाग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28–01–2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28–01–2020 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) से दिनांक 03–02–2020 (पूर्वान्ह 11:00 बजे) तक ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18–02–2020, 12–03–2020 एवं 24–03–2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट **www.varanasi.nic.in** विभागीय वेबसाइट **www.oldupexcise.in** तथा ई–लाटरी पोर्टल **www.upexciseelottery.gov.in** पर देखी जा सकती है।

25/01/2020
(करुणेन्द्र सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
वाराणसी।

(कौशल राज शर्मा)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
वाराणसी।

विज्ञप्ति संख्याः–3193-3213 /व्यवस्थापन/2020–21/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2– अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
3– संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।
4– उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी।
5– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वाराणसी को आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6– समस्त उप जिलाधिकारी, वाराणसी।
7– नाजिर, सदर, कलेक्ट्रेट वाराणसी को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
8– समस्त तहसीलदार, वाराणसी।
9– समस्त आबकारी निरीक्षक, निरोधक सेक्टर/क्षेत्र, वाराणसी।
10– सम्पादक,दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्रों में (साइज 13 से0मी0 X 13 से0मी0 (लगभग) के बाक्स में)विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, वाराणसी से सत्यापित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

25/01/2020
(करुणेन्द्र सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
वाराणसी।

Scanned by CamScanner